राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत कोटा

क्रमांकः 5426 दिनांकः 17/1/20

सिस्टम एनालिस्ट(संयुक्त निदेशक)
राजस्थान आवासन मण्डल
जयपुर

विषय :– मण्डल की वेबसाइट पर भू–पट्टी आवंटन का आवेदन पत्र एव मानचित्र अपलोड करने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वृत्त कार्यालय की योजनाओ मे भू–पट्टी आवंटन के प्रकरण मुख्यालय प्रेषित किये गये थे। प्रचलित प्रकियानुसार निम्नांकित आवासो को भू–पट्टी आवंटन का प्रकरण मुख्यालय भिजवाने से पूर्व आवेदन पत्र व मानचित्र मण्डल की वेबसाइट पर अपलोड किया जाना है जिसका विवरण निम्नानुसार है–

क्र.स.	आवेदन कर्ता का नाम	योजना / शहर	संलग्न
1	श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा	1 / 141, झालरापाटन	आवेदन एव मानचित्र
2	श्री श्याम मनोहर आचार्य	1–न–10, दादाबाडी, कोटा	आवेदन एव मानचित्र
3	श्री उषा जसोरिया	1–ए–1 महावीन नगर विस्तार, कोटा	आवेदन एव मानचित्र
4	श्री शांति लाल	1 / 87 भवानमंडी,	आवेदन एव मानचित्र
5	श्री राजाराम	4–डब्ल्यु–8, महावीन नगर विस्तार, कोटा	आवेदन एव मानचित्र
6	श्री चन्द्रप्रकाश नायक	2–बी–1, जवाहर नगर, बूंदी	आवेदन एव मानचित्र

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

भवदीय

उप आवासन आयुक्त
राजस्थान आवासन मण्डल
खण्ड कोटा

राजेन्द्र कुमार शर्मा
मकान संख्या – 1 141 हाउसिंग बोर्ड कोलोनी
झालरापाटन जिला झालावाड राजस्थान
दिनांक–

सेवा में
श्रीमान् उप आयुक्त महोदय
राजस्थान आवासन मण्डल
कोटा वृत्त
कोटा

विषय :– मकान संख्या 1 / 141 के पंजीयन के संबंध में प्रार्थना पत्र।

महोदय

[redacted] विषयान्तर्गत आपसे निवेदन किया जाता है कि आपके द्वारा प्राप्त पत्र संख्या कमांक 190 में उल्लेखित तथ्यों में बताया गया है कि हमारे द्वारा आवासन मण्डल की भूमि पर अतिकमण किया गया है।

उक्त विषय हेतु आपको विदित है कि यह भूमि आवास के संलग्न ही है और इसके सटीक भूमि जो कि नगरपालिका मण्डल की है उस पर पहले से ही अतिकमण किया हुआ है।

इसके पश्चात भी प्रार्थी आपसे निवेदन करता है कि आवास के अतिरिक्त जो भी भूमि मण्डल के अधिकार में हो उसे प्रार्थी के आवास के साथ ही संलग्न कर आवंटित करने की कृपा करे।

इस संदर्भ में जो भी राशि मण्डल द्वारा वांछनीय रहेगी वो देय होगी।

अत; आपसे निवेदन किया जाता है कि उपर्युक्त विषय में कार्यवाही की जाये तथा प्रार्थी को अवगत करवाने की कृपा करे।

प्रार्थी आपका आभारी रहेगा।

धन्यवाद

भवदीय

राजेन्द्र कुमार शर्मा

Mob:- 98291-49422

EM 3/6/11

S.K. Sharma 7/6/11

(111)

46
7/5/19

बोर्ड नं. 14–15–3–14–00063
आवास म.नं. 1–न–10 दादाबाड़ी कोटा
(25 फीट बाई 50 फीट साईज)

सेवा में,

श्रीमान् उप मुख्य अभियंता महोदय,
राजस्थान आवास मण्ड़ल, जयपुर (राज0)

द्वारा –

श्रीमान् उप आवासन आयुक्त
राजस्थान आवासन मण्ड़ल कोटा (राज0)

विषय :– आवास म.नं. 1–न–10 दादाबाड़ी कोटा के साथ संलग्न होने वाली अतिरिक्त जमीन आवंटित किये जाने बाबत्।

मान्यवर,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रार्थी निम्न लिखित निवेदन प्रस्तुत करता है :–

1. यह कि प्रार्थी को आवासन मण्डल द्वारा मकान नम्बर 1–न–10 दादाबाड़ी आवास गृ आवंटित किया गया था। जिसका आधिपत्य प्रार्थी ने दिनांक 30.01.1974 को ही ले लिया था एवं तभी से उक्त मकान पर प्रार्थी का आधिपत्य चला आ रहा है तथ दिनांक 31.03.2000 को उक्त आवास गृह की रजिस्ट्री भी प्रार्थी के पक्ष में राजस्था आवासन मण्डल ने करा दी है।
2. यह कि प्रार्थी ने कोने वाले आवास गृह के लिये विकल्प दिया था। इस पर आवास मण्डल द्वारा कोने का मकान तो आवंटन कर दिया गया किन्तु उक्त मकान नम्ब 1–न–10 से संलग्न होने वाली अतिरिक्त जमीन आवंटित नहीं की गई है, जिसक कारण प्रार्थी को कोने वाले मकान का पूर्ण लाभ नहीं मिल सका है।
3. यह कि प्रार्थी के अतिरिक्त आवासन मण्डल द्वारा कोटा शहर में जितने भी कोने वा मकान आवंटित किये गये उन्हें अतिरिक्त कोने की जमीन दी गई है। केवल प्रार्थी व ही उससे वंचित रखा गया है, जो न्यायोचित नहीं है।
4. यह कि प्रार्थी का आवंटित मकान नम्बर 1–न–10 के साथ जुडी हुई अतिरिक्त जमी सन् 1974 से ही जब से प्रार्थी ने उक्त मकान का आधिपत्य लिया तभी से 43 वर्षो

comp.

S.K. Sharma
7/5/19

2991
26/9/19

सेवा में,

उप आवासन आयुक्त
राजस्थान आवासन मण्डल
कोटा

विषयः- आवास संख्या 1-ए-1 महावीर नगर विस्तार योजना कॉर्नर आवास के साथ लगी हुई अतिरिक्त भूपट्टी आवंटन किये जाने बाबत्

महोदय,

मेरे द्वारा कई बार उक्त आवास के बगल मे स्थित भूपट्टी का आवंटन किये जाने का निवेदन किया गया था काफी समय से उक्त प्रकरण मण्डल में लम्बित है कृपया उक्त भूपट्टी मुझे आवंटित की जाये ताकि मे मकान की रजिस्ट्री करवा सकूं।

ऊषा
उषा जसोरिया
1-ए-1, महावीर नगर विस्तार
योजना कोटा

Sh. Shashikant

24/09/19

Report - PE&R

27/11/19

REkota / Sh. R.K. Jain
Pl. report.

27/11/19

Feeling Report Put up at Note sheet.

27/11/19

सेवा में

98
1/1/12

Sh. BANShi Lal / M. Arif श्रीमान उप आवासन आयुक्त महो.

राज. आवासन मंडल कोटा खंड कोटा

प्रशासन शहरों के संग अभियान शिविर 2012 राजस्थान आवासन मंडल कोटा

विषय :- आवासीय योजना भवानी मंडी में आवंटित म.न. 1/87 के अतिरिक्त भू पट्टी के सम्बन्ध में

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है आवासीय योजना भवानीमंडी में म.न. 1/87 का पंजीकृत आवंटन धारक हूँ। लेकिन अतिरिक्त भू पट्टी होने के कारण पंजीयन ~~[illegible]~~ नहीं हो रहा है।

अतः नियमानुसार अतिरिक्त भू पट्टी का भुगतान करने को तैयार हूँ। इसलिए मुझे भू पट्टी दिलवा कर पंजीयन की कार्यवाही करें।

धन्यवाद

शांतीलाल
प्रार्थी

शांतिलाल s/o चन्दालाल
नि. भवानीमंडी म.न. 1/87

आवासन मण्डल कोटा
1935
5/8/19

सेवा में —

श्रीमान् उपआयुक्त महोदय,
रा० आवासन मण्डल,
कोटा।

विषय — म०नं० 5-ब-8 महावीरनगर वि० यो० कोटा के समीप पड़ी रिक्त खाली भूपट्टी आवंटन (कराने की प्रार्थना में) करवाना चाहता हूँ।

मान्यवर —

सविनय निवेदन है कि मेरे मकान के समीप रिक्त भू-पट्टी पर मेरे पड़ोसी कहते है कि खाली जगह पर हम मकान बनायेंगे, नहीं तो हम बनायेंगे, यानि रिक्त भू-पट्टी पर कब्जा करने की धमकी देते रहते है। साथ में नगर निगम भी [illegible] से मैं बहुत परेशान हूँ और आवारा भी गन्दगी करते रहते है, जिनकी गंद-बदबू से जीना मुश्किल हो रहा है और कभी-कभी खाली जगह पर शराबी भी बैठ जाते है (रात में) इस परेशानी से हम [illegible] रिक्त भू-पट्टी को मैं खरीदना चाहता हूँ जो भी कीमत होगी मैं जमा कराने को तैयार हूँ। मैं सरकारी कर्मचारी होने के नाते आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि जयपुर व आर्थिक कार्यालय से भी सहयोग कार्यवाही हुई, आवंटन कराने का कष्ट करें गरीब सेवक पर आपकी बड़ी कृपा होगी।

"धन्यवाद"

प्रार्थी
राजाराम
राजाराम चौहान
5-ब-8, महावीरनगर वि० योजना
कोटा।

5/8/19

S.K. Sharma
6/8/19

राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

क्रमांक : 1177

दिनांक : 24/5/18

आवासीय अभियन्ता
राजस्थान आवासन मण्डल
खण्ड कोटा।

विषय :– आवास संख्या 2–बी–1, जवाहर नगर बून्दी के साथ लगी अतिरिक्त भूपट्टी के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आवास संख्या 2–बी–1 जवाहर नगर बून्दी के पंजीयन प्रपत्र तैयार करने से पूर्व उक्त आवास के मानचित्र प्रमाणित करने हेतु आपके कार्यालय को प्रेषित किये गए थे जिसके अन्तर्गत आवास के साथ ~~60.03~~ 48.09 अतिरिक्त भूपट्टी होना परियोजना अभियन्ता द्वारा दर्शाया गया है। इस क्रम में पुनः मानचित्र आपको प्रेषित किये जा रहे है, आवास के साथ लगी हुई अतिरिक्त भूपट्टी की वर्तमान वस्तुस्थिति रिपोर्ट मय नजरी नक्शा एवं उक्त भूपट्टी का कोई स्वतन्त्र उपयोग है या नहीं आवंटन की अनुसंशा सहित विवरण इस कार्यालय को भिजवाने का श्रम करें ताकि भूपट्टी आवंटन के क्रम में प्रकरण मुख्यालय विचारार्थ एवं निर्णयार्थ हेतु भिजवाया जा सके।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

238
24/5/18

भवदीय

उप आवासन आयुक्त
राजस्थान आवासन मण्डल
कोटा वृत्त कोटा

उक्त आवास से लगी भू पट्टी पर 2B-1 आवास के आवंटी द्वारा पक्का निर्माण किया हुआ है। उक्त भू पट्टी में स्वतंत्र आवास नहीं बनाया जा सकता है उक्त भू पट्टी की पीछे की चौड़ाई 3.40 मी. है जो एक स्वतंत्र आवास की चौड़ाई 2.75 मी. से कम है। अतः उक्त आवास एवं भू पट्टी का नजरी नक्शा संलग्न [illegible] किया जाना उचित होगा।